



न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुड़ामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2021 / 184

दर्ज तिथि:-17.08.2021

1. मालाराम पुत्र काछबा
2. बाबूलाल पुत्र काछबा
3. धना पुत्र रामकिशन
4. गोरखा पुत्र रामकिशन फौत के कायम मुकाम
4/1 भागीरथराम पुत्र गोरखाराम
4/2 दिनेश कुमार पुत्र गोरखाराम
4/3 झमकूदेवी पत्नी गोरखाराम
जाति विश्नोई निवासी नया महादेव नगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.....वादी

बनाम

1. हीरा पुत्र छोटा फौत के कायम मुकाम
1/1 हापूराम पुत्र हीरा
1/2 मांगीलाल पुत्र हीरा
1/3 फूलीदेवी पत्नी हीरा
2. खीमडा उर्फ खीयाराम पुत्र छोटाराम
जाति विश्नोई निवासी नया महादेव नगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.....असल प्रतिवादी

3. शाखा प्रबंधक एसबीआई बैंक गुड़ामालानी मैन बाजार गुड़ामालानी
4. गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

.....तरतीबी प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री जगदीश विश्नोई

प्रतिवादीगण:- श्री रामजीवन विश्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-53,188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

—:निर्णय:—

निर्णय तिथि:-14.08.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 का बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 457 / 3.2375 है0, 458 / 0.1457 है0, 536 / 486 / 6.6692 है0, 538 / 486 / 20.3355 है0, 537 / 486 / 0.5463 है0 मौजा नया महादेव नगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादीगण के हिस्से खुले हुए हैं तथा आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रुकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते हैं। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादी को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।
2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद विधिवत तामिल प्रतिवादीगण जरिये असागतन-वकालतन हाजिर न्यायालय हुए एवं जवाब मय प्रतिदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खसरा संख्या 486 में से चल रही पक्की सड़क प्रतिवादी संख्या 02 के हिस्से में से काटी गई है। जिसका पक्का निर्माण हो चुका है। जिसे गै0मु0 सड़क घोषित की जाकर शेष भूमि का पूर्व में किये गये वहामी बंटवाड़ा अनुसार पक्षकारान के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे।
3. प्रकरण में निम्न प्रकार तनकीयात कायम किये गये:-
 1. आया वादी संयुक्त आराजी का मुताबिक हाल राजस्व रिकॉर्ड दर्ज हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स खाता विभाजन करवाने के अधिकारी हैं।
.....जिम्मे वादी
 2. आया वादी संयुक्त आराजी का मुताबिक हाल राजस्व रिकॉर्ड दर्ज हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स खाता विभाजन करवाने के पश्चात् विरुद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं।
.....जिम्मे वादी

3. आया प्रतिवादी खसरा संख्या 486 में से चल रही पक्की सड़क को गै0मु0 सड़क घोषित करवाने के पश्चात् संयुक्त आराजी का मुताबिक हाल राजस्व रिकॉर्ड दर्ज हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स खाता विभाजन करवाने के अधिकारी हैं।

.....जिम्मे प्रतिवादी 02

4. अन्य दादरसी।

.....उभयपक्षकारान

4. तत्पश्चात् उभयपक्षकारान अधिवक्ता की बहस पर दिनांक 03.04.2024 को प्रारम्भिक निर्णय व पर्चा डिक्री जारी किया गया। जिस पर भू-धारक तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/1220 दिनांक 22.07.2025 द्वारा विभाजन प्रस्ताव/कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत किया। प्रकरण में अभिभाषक उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक उभयपक्षकारान द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/1220 दिनांक 22.07.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:-

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. - The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.	प्रकरण में दिनांक 05.05.2025 को तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।
प्रकरण में पक्षकारों को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।	1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस क्रमांक 1578-1587 दिनांक 02.04.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 05.05.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस क्रमांक 1578-1587 दिनांक 02.04.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 05.05.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।

5. प्रकरण में वादीगण द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई। सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2073-2076 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 457/3.2375 है0, 458/0.1457 है0, 536/486/6.6692 है0, 538/486/20.3355 है0, 537/486/0.5463 है0 मौजा नया महादेव नगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त

वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन-प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा- ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

6. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ-साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार है:-

188. Injunction against wrongful ejectment—

(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.

(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-

(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;

(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;

(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.

(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.

7. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा-188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 की उपधारा-2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई है:-

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

8. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि प्रकरण में वादी का प्रथम अनुतोष स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादी का संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादी की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा वादी का संयुक्त स्वामित्व अविवादित है। प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण की आराजी का विभाजन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त विभाजन के पश्चात् वादीगण व प्रतिवादीगण का पृथक-पृथक खाता कायम किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही हाल में संयुक्त आराजी का रिकॉर्ड में पृथक अंकन किया जाकर मौके पर उसी अनुसार कब्जा भी पृथक से सुपुर्द किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात् रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक-पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग-उपभोग बिना किसी बाधा के करने हेतु अधिकृत व स्वतंत्र है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात् रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक-पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग-उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध खातेदारी अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। इस आधार पर वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात् रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक-पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग-उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है।
9. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक-पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफ्त में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 457/3.2375 है0, 458/0.1457 है0, 536/486/6.6692 है0, 538/486/20.3355 है0, 537/486/0.5463 है0 मौजा नया महादेव नगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
खीमड़ा उर्फ खीयाराम पुत्र छोटाराम जाति विश्नोई हि० पूर्ण सा० देह खातेदार	नया महादेव नगर	457 536 / 486 438 / 486	0.7871 3.45 3.2318	बा०सो० बा०सो० बा०सो०
कुल किता 03 रकबा 7.4689 है०				
धनाराम पुत्र रामकिशन हि० 1/2 जाति विश्नोई सा० देह दिनेश कुमार पुत्र गोरखाराम, भागीरथराम पुत्र गोरखाराम, झमकूदेवी पत्नी गोरखाराम हि० 1/2 जाति विश्नोई सा० देह खातेदार	नया महादेव नगर	457 457 538 / 436 538 / 486 538 / 486 538 / 486	0.3935 0.3936 1.06 0.9425 3.0793 1.60	बा०सो० बा०सो० बा०सो० बा०सो० बा०सो० बा०सो०
कुल किता 06 रकबा 7.4689 है०				
मांगीलाल, हापूराम पि० हीराराम हि० 8/9 फूलीदेवी पत्नी हीराराम हि० 1/9 जाति विश्नोई सा० देह खातेदार	नया महादेव नगर	457 536 / 486 538 / 486 538 / 486	0.7871 3.2192 0.0562 3.4064	बा०सो० बा०सो० बा०सो० बा०सो०
कुल किता 04 रकबा 7.4689 है०				
मालाराम पुत्र काछबाराम हि० 1/2 रहन-एसबीआई गुड़ामालानी बाबूलाल पुत्र काछबाराम हि० 1/2 जाति विश्नोई सा० देह खातेदार रहन-एसबीआई गुड़ामालानी	नया महादेव नगर	457 457 538 / 486 538 / 486 538 / 486 538 / 486	0.3935 0.3936 1.37 1.9709 1.10 2.2411	बा०सो० बा०सो० बा०सो० बा०सो० बा०सो० बा०सो०
कुल किता 06 रकबा 7.4691 है०				
बदस्तूर मूल खाता	नया महादेव नगर	457 458 537 / 486 538 / 486	0.0891 0.1457 0.5463 0.2773	बा०सो० गै०मु० ढाणी गै०मु० रास्ता गै०मु० रास्ता
कुल किता 04 रकबा 1.0584 है०				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काशत में रुकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रैजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 14.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर





न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुड़ामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2021 / 184

दर्ज तिथि:-17.08.2021

1. मालाराम पुत्र काछबा
2. बाबूलाल पुत्र काछबा
3. धना पुत्र रामकिशन
4. गोरखा पुत्र रामकिशन फौत के कायम मुकाम
4/1 भागीरथराम पुत्र गोरखाराम
4/2 दिनेश कुमार पुत्र गोरखाराम
4/3 झमकूदेवी पत्नी गोरखाराम
जाति विश्नोई निवासी नया महादेव नगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.....वादी

बनाम

1. हीरा पुत्र छोटा फौत के कायम मुकाम
1/1 हापूराम पुत्र हीरा
1/2 मांगीलाल पुत्र हीरा
1/3 फूलीदेवी पत्नी हीरा
2. खीमडा उर्फ खीयाराम पुत्र छोटाराम
जाति विश्नोई निवासी नया महादेव नगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.....असल प्रतिवादी

3. शाखा प्रबंधक एसबीआई बैंक गुड़ामालानी मैन बाजार गुड़ामालानी
4. गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

.....तरतीबी प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री जगदीश विश्नोई

प्रतिवादीगण:- श्री रामजीवन विश्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-53,188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

:-पर्चा डिक्री:-

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी

व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 457/3.2375 है0, 458/0.1457 है0, 536/486/6.6692 है0, 538/486/20.3355 है0, 537/486/0.5463 है0 मौजा नया महादेव नगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
खीमड़ा उर्फ खीयाराम पुत्र छोटाराम जाति	नया	457	0.7871	बा0सो0
विश्वनोई हि0 पूर्ण सा0 देह खातेदार	महादेव	536 / 486	3.45	बा0सो0
	नगर	438 / 486	3.2318	बा0सो0
कुल किता 03 रकबा 7.4689 है0				
धनाराम पुत्र रामकिशन हि0 1/2	नया	457	0.3935	बा0सो0
जाति विश्वनोई सा0 देह	महादेव	457	0.3936	बा0सो0
दिनेश कुमार पुत्र गोरखाराम, भागीरथराम	नगर	538 / 436	1.06	बा0सो0
पुत्र गोरखाराम, झमकूदेवी पत्नी गोरखाराम		538 / 486	0.9425	बा0सो0
हि0 1/2		538 / 486	3.0793	बा0सो0
जाति विश्वनोई सा0 देह खातेदार		538 / 486	1.60	बा0सो0
कुल किता 06 रकबा 7.4689 है0				
मांगीलाल, हापूराम पि0 हीराराम हि0 8/9	नया	457	0.7871	बा0सो0
फूलीदेवी पत्नी हीराराम हि0 1/9	महादेव	536 / 486	3.2192	बा0सो0
जाति विश्वनोई सा0 देह खातेदार	नगर	538 / 486	0.0562	बा0सो0
		538 / 486	3.4064	बा0सो0
कुल किता 04 रकबा 7.4689 है0				
मालाराम पुत्र काछबाराम हि0 1/2	नया	457	0.3935	बा0सो0
रहन-एसबीआई गुड़ामालानी	महादेव	457	0.3936	बा0सो0
बाबूलाल पुत्र काछबाराम हि0 1/2	नगर	538 / 486	1.37	बा0सो0
जाति विश्वनोई सा0 देह खातेदार		538 / 486	1.9709	बा0सो0
रहन-एसबीआई गुड़ामालानी		538 / 486	1.10	बा0सो0
		538 / 486	2.2411	बा0सो0
कुल किता 06 रकबा 7.4691 है0				
बदस्तूर मूल खाता	नया	457	0.0891	बा0सो0
	महादेव	458	0.1457	गै0मु0
	नगर	537 / 486	0.5463	ढाणी
		538 / 486	0.2773	गै0मु0
				रास्ता
				गै0मु0
				रास्ता
कुल किता 04 रकबा 1.0584 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काशत में रुकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज दिनांक 14.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)

सहायक कलक्टर

गुढामालानी-बाड़मेर

